झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आम सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा एल.पी.ए. संख्या-175/2017, 199/2017 एवं एल.पी.ए. संख्या-186/2017 तथा अन्य सदृश्य वादों में पारित न्यायादेशों के अनुपालन हेतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-1632, दिनांक 05.09.2012 द्वारा प्रख्यापित झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के आधार पर विज्ञापित पदों के विरूद्ध की गई पूर्व की नियुक्तियों के पश्चात् शेष बचे रिक्त पदों पर एकबारगी अंतिम अवसर के रूप में कांउयिलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।

1) माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के अनुरूप यह कांउसिलिंग पूर्व में वर्ग 1 से 5 एवं 6 से 8 के लिए प्रकाशित विज्ञापनों में निहित शर्तों के अधीन ही प्रारंभ की जा रही है।

2) जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा नियुक्ति की अनुशंसा की जायेगी। जिला स्तर पर व्यवस्थित कांउसिलिंग निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप सम्पन्न कराने का दायित्व मुख्यतः जिला शिक्षा स्थापना समिति के अध्यक्ष - संबंधित जिले के उपायुक्त तथा सदस्य सचिव जिला शिक्षा अधीक्षक का होगा।

3) पूर्व की नियुक्तियों के वाद श्रेणीवार रिक्तियों को संबंधित जिले के वेबसाईट पर जिला शिक्षा स्थापना समिति के अनुमोदन से सूची प्राकशित कर आपत्ति का निराकरण कर अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित करना।

2.5.19

4) पूर्व में आवेदक जिस श्रेणी में आवेदन कर चुके है जो सूचना दी जा चुकी है, वह अंतिम होगी। नये सिरे से कोई नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। नये किसी नियुक्ति हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5) औपबंधिक मेधासूची में नाम प्रकाशित किये जाने मात्र से नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा। नियुक्ति मेधा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्त विज्ञापित पदों पर ही विचारणीय होगी।

6) पूर्व में किसी जिले में नियुक्त अभ्यर्थी का आवेदन विचारणीय नहीं होगा। इस कांउसिलिंग में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में नियुक्त शिक्षक तथा पूर्व में आयोजित कांउसिलिंग अंतर्गत वर्ग 1 से 5 अथवा वर्ग 6 से 8 के पारा अथवा गैर-पारा श्रेणी में भाग लिये अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते हैं परन्तु न्याय निदेश से आच्छादित अभ्यर्थी कांउसिलिंग में भाग लेंगे। ऐसे अभ्यर्थी रिक्ति के दोगुना प्रकाशित औपबंधिक सूची में नहीं आने के बावजूद भी वाद से संबंधित जिला में भाग ले सकते है।

7) (i) पूर्व में कांउसिलिंग के लिए आमंत्रित अभ्यर्थी (चाहे कांउसिलिंग में भाग लिया हो या नहीं) को आमंत्रित नहीं किया जायेगा तथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) कंडिका 7(i) का अपवाद मात्र ऐसे अभ्यर्थी होंगे झारखण्ड शिक्षा परियोजना के अधीन डी.पी.ई. धारी पारा शिक्षक होंगे, अगर उनको अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया। ऐसे अभ्यर्थी को कांउसिलिंग में आमंत्रित किया जाय।

(iii) कंडिका 7(i) का दूसरा अपवाद वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका की थी, वैसे अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाय। अथवा प्राप्त आवेदन पर मेरिट के अनुरूप विचार किया जाय।

8) (i) कांउसिलिंग में भाग लेने के पूर्व अभ्यर्थी अपने अभ्यर्थित्व के संबंध में स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत ही निर्धारित कांउसिलिंग की तिथि को पूर्व में समर्पित किये गये सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र/अन्य प्रमाण-पत्रों (किसी प्रकार के जाति/आवासीय/आरक्षण के लाभार्थ) इत्यादि की मूल प्रतियों

2.5.19

के साथ भाग लेंगे। इसकी स्वहस्ताक्षरित एक प्रति भी लेकर आएंगे। कांउसिलिंग में मूल प्रमाण-पत्र जमा कर ली जाएगी।

(ii) कांउसिलिंग के समय संलग्न विहित प्रपत्र में शपथ-पत्र नोटराईज करा कर प्रस्तुत करना होगा।

(iii) कांउसिलिंग में भाग लेने हेतु इसके साथ संलग्न शपथ-पत्र एवं सभी वांछित मूल प्रमाण-पत्र के साथ आना होगा, मात्र पूर्ण डाक्यूमेंट वाले अभ्यर्थी पर कांउसिलिंग में विचार होगा।

(iv) कांउसिलिंग के आवेदन में उक्त के अतिरिक्त अगर कोई माननीय उच्च न्यायालय का न्यायादेश होगा, उसकी प्रति भी आवश्यक रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(v) इस कांउसिलिंग में भाग नहीं लेने वाले अभ्यर्थी के किसी दावे पर निर्धारित तिथि तक प्राप्त न होने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(vi) फर्जी प्रमाण-पत्रों के साथ भाग लेने वाले अभ्यर्थिरूों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। यह निर्णय संबंधित जिला स्थापना समिति द्वारा लिया जायेगा।

9) (i) कांउसिलिंग में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

(ii) कांउसिलिंग हेतु मूल प्रमाण-पत्र निर्धारित तिथि तक ही प्राप्त होगा।

(iii) सक्षम प्राधिकार प्रमाण-पत्रों की जाँच अन्य दिनों तक कर सकेगा।

10) चूँकि एक अभ्यर्थी के अन्य जिलों में भी आवेदन किये जाने के कारण उनका नाम अन्य जिलों की औपबंधिक मेधा सूची में प्रकाशित है एवं कांउसिलिंग में मूल प्रमाण-पत्र जमा लिये जायेगें जिसे कोई भी अभ्यर्थी एक जिला के एक ही कोटि (पारा एवं गैर-पारा) में भाग ले सकते है। ऐसे में यह उनके स्वविवेक पर निर्भर करेगा कि वह

2.5.19

किस जिले एवं किस कोटि की कांउसिलिंग में भाग लेंगे। अपने स्वविवेक से किसी जिला या कोटि की उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं।

11) (i) इस कांउसिलिंग में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 2015-16 में की गई नियुक्तियों के पश्चात् शेष रिक्त पदों के 2 गुणा अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधासूची जिलों के वेबसाईट www.bokaro.nic.in, www.jamshedpur.nic.in, www.hazaribagh.nic.in, www.giridih.nic.in, https://loharda.nic.in/, www.godda.nic.in, www.gumla.nic.in, www.chaibasa.nic.in, www.seraikela.nic.in, www.jamtara.nic.in, www.ramgarh.nic.in, www.palamu.nic.in, www.simdega.nic.in, www.garhwa.nic.in, www.latehar.nic.in, www.dumka.nic.in पर प्रकाशित की जायेगी अर्थात- सभी जिलों के www.district.nic.in पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

(ii) कांउसिलिंग का स्थान जिलों के वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। इच्छुक अभ्यर्थी नियमित रूप से इसे देख सकेंगे। यह दायित्व अभ्यर्थी का होग।

(iii) अभ्यर्थी अपना ई-मेल आई.डी. तथा मोबाईल नं. भी आवेदन के साथ अंकित कर देंगे ताकि 11(ii) के साथ-साथ सूचना का आदान-प्रदान किया जा सके।

12) कांउसिलिंग का कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया गया है :-

(क)	सभी जिला द्वारा संशोधित सूची जारी किया जाना	-	15 मई 2019
(ख)	संशोधित सूची पर आपत्ति प्राप्त करना	-	22 मई 2019
(ग)	प्राप्त आपत्ति का निराकरण	-	30 मई 2019
(घ)	सभी जिला द्वारा कांउसिलिंग का कार्य करने हेतु निर्धारित तिथि (केवल मूल प्रामण-पत्र प्राप्त करने के लिए)	-	3 जून 2019 (समय प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे या उपलब्ध अभ्यर्थियों के समाप्त होने तक)

2.5.19

(ङ.) मूल प्रमाण-पत्र का मिलान, जाँच एवं मेधा क्रमांक का सत्यापन – 7-12 जून 2019

(च) जिला शिक्षा स्थापना समिति का अनुमोदन प्राप्त करना। – 10-15जून 2019

(छ) नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित तिथि – 13-21 जून तक 2019

(ज) अचयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्र को वापस करना – 24 जून 2019 से 30 जून 2019

(झ) संपूर्ण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना – 24 जून से 30 जून 2019 तक

13) इस चरण की कांउसिलिंग के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों को एक ही समव्यवहार के कारण पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के समान वरीयता एवं वेतनमान देय नहीं होगा। इस उप समव्यवहार में चयनित अभ्यर्थी इसकी मांग नहीं कर सकते हैं। इनकी नियुक्ति वर्ष 2019 होगी।

14) विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या-663, दिनांक 02.05.2019 से निर्गत नियमावली संशोधन तथा संकल्प ज्ञापांक 662, दिनांक 02.05.2019 भी वेबसाईट पर देखा जा सकता है। इसके अंकित शर्तें पूर्णतः प्रभावी होगी।

15) कतिपय एल.पी.ए 185/2017 एवं 175/2017 में पारित आदेश की प्रति भी वेबसाईट पर उपलब्ध करा दिया गया है।

उपरोक्त तिथियों को संशोधित करने की शक्ति निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पास अंतर्निहित है। लेकिन कांउसिलिंग की तिथि में कोई प्रविर्त्तन नहीं किया जायेगा। व्यवस्थित तथा शांतिपूर्ण कांउसिलिंग सम्पन्न कराने के लिए विभागीय पत्रांक- 665, दिनांक 02.05.2019 द्वारा निर्देश निर्गत किया गया है।

2.5.19

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा